

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

TEN  
RUPEES

₹ 10

Rs.10



INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

10AA 477098

प्रारूप-26

(नियम 4क देखिए)

उत्तराखण्ड  
कोड सं. 001  
- 5 JAN 2012  
निर्गत किया  
कोड सं. 001

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिए रिटर्निंग  
अफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र।

मैं तरुण झाड़ुजा पुत्र सुभाष झाड़ुजा आयु 32 वर्ष, जो 185, हमाग्रीकोड

(18, चर्मपुर विधान सभा) का

निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय  
किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम  
अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए  
हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त हैं तो वह  
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

यहाँ





.2.


- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं..... लागू
- (ii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला या जिले..... राज्य..... लागू नहीं
- .....
- (iii) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है..... लागू नहीं
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचनाक की गई..... लागू नहीं
- .....
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / किए गए थे..... लागू नहीं
- .....
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रेकी गई है / हैं..... लागू नहीं
- .....

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाली अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्धकोष टहराया गया है / नहीं टहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष टहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं..... लागू नहीं
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है..... लागू नहीं
- (iii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले)..... राज्य..... लागू नहीं
- .....
- (iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियम) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) के लिये अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है..... लागू नहीं

यस्य




3.

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/ सुनाए गए थे.....

..... स्थायी नहीं

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं..... स्थायी नहीं

स्थान: देहरादून  
तारीख:- 12/1/12

  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर





## सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूं कि इस शपथपत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

..... देहरादून स्थान पर आज तारीख 12/1/12 को सत्यापित किया।

This affidavit is sworn & verified by  
Shri. Suresh Kumar Thakur  
who is identified by Shri. .....

  
(Suresh Kumar Thakur)  
Advocate & Notary  
Dehradun (U.K.) INDIA  
Reg. No 38 (01) 2004

  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर